सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/DEV-5413/JH/129/2025-RU-IV

दिनांक : 16 .06.2026

सेवा मे,

पुलिस अधीक्षक,
जिला - दुमका
नया समाहरणालय भवन,
दुमका - 814101, झारखंड,
ई-मेल: sp-dumka@jhpolice.gov.in

उपायुक्त,
कार्यालय उपायुक्त,
समाहरणालय भवन,
दुमका, झारखंड 814101
ई-मेल: dc-dum@nic.in

विषय: **वन अधिनियम के अंतर्गत श्री फुचु टुडू (अनुसूचित जनजाति संताल) की 03 एकड़ जमीन पर धनी एवं दबंग व्यक्तियों द्वारा दखल दिए जाने के संबंध में- श्री प्रियनाथ पाठक विद्रोही, आर.टी.आई,कार्यकर्ता सह सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम-नवाडीह, पोस्ट-कुमड़ाबाद, भाया-कुरूवा, जिला-दुमका (झारखंड़) का दिनांक 04.06.2025 का पत्र/अभ्यावेदन।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 01.06.2026 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

16.6.26

(प्रवीण कुमार सिंह / Praveen Kumar Singh)
अवर सचिव/ Under Secretary
E.mail ID: ru4-hq@ncst.nic.in
Ph. No. 011-24645826

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ</u>-:
श्री प्रियनाथ पाठक विद्रोही,
ग्राम-नवाडीह, पोस्ट-कुमड़ाबाद,
भाया-कुरुवा, जिला-दुमका, झारखंड-814119,
Mobile No: 6200310672

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/DEV-5413/JH/129/2025-RU-IV

अभ्यावेदक श्री प्रियनाथ पाठक विद्रोही, आर.टी.आई. कार्यकर्ता सह सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम-नवाडीह, पोस्ट-कुमड़ाबाद, भाया-कुरूवा, जिला-दुमका (झारखण्ड) से प्राप्त अभ्यावेदन, वन अधिनियम के अंतर्गत श्री फुचु टुडू (अनुसूचित जनजाति-संताल) की 03 एकड़ भूमि पर दबंग व्यक्तियों द्वारा अवैध दखल दिए जाने के संबंध में, के प्रकरण में आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का कार्यवृत ।

सुनवाई की तिथि : 01.06.2026
सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार
सुनवाई का स्थान : परिसदन, दुमका, झारखंड

अभ्यावेदक श्री प्रियनाथ पाठक विद्रोही, आर.टी.आई. कार्यकर्ता सह सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम-नवाडीह, पोस्ट-कुमड़ाबाद, भाया-कुरूवा, जिला-दुमका (झारखण्ड) द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में आरोप लगाया गया है कि जिला-दुमका, अंचल-शिकारीपाड़ा, मौजा-भागाबाँध (पतरंगा) स्थित वन अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित श्री फुचु टुडू (अनुसूचित जनजाति-संताल) की लगभग 03 एकड़ भूमि पर श्री आनन्द मोहन घोष एवं श्री कृषोन्दू घोष द्वारा जबरन अवैध कब्जा किया गया है। अभ्यावेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित व्यक्तियों द्वारा पीड़ित परिवार पर अत्याचार एवं दबाव बनाया जा रहा है। अभ्यावेदक ने आयोग से उक्त अवैध कब्जे की जांच कर दोषी व्यक्तियों एवं संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा पीड़ित परिवार को आवश्यक कानूनी एवं प्रशासनिक सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया है।

2. प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 18.07.2025 को उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक, दुमका (झारखण्ड) को नोटिस जारी कर 15 दिवस के भीतर तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। तथापि, आयोग के उक्त नोटिस के संदर्भ में संबंधित प्राधिकारियों से कोई प्रतिवेदन/उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। तत्पश्चात अभ्यावेदक के अनुरोध तथा प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा मामले पर विचार किया गया और सुनवाई हेतु संबंधित पक्षों को बैठक सूचना (Sitting Notice) निर्गत की गई।

3. सुनवाई के दौरान उप विकास आयुक्त, दुमका तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, दुमका आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान अभ्यावेदक ने आरोप लगाया कि उसकी लगभग 3 एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। चर्चा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि संबंधित भूमि झाड़ी जंगल/वन भूमि अथवा रैयती भूमि की श्रेणी में आती है, जिसकी प्रकृति एवं स्वामित्व को लेकर विवाद है।

4. संबंधित अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2010 में भूमि से संबंधित दस्तावेज एवं अनुमोदन जारी किए गए थे। साथ ही यह भी कहा गया कि भूमि का आवंटन अथवा हस्तांतरण किन परिस्थितियों में किया गया, इसकी जांच आवश्यक है। सुनवाई के दौरान यह प्रश्न भी उठा कि संबंधित भूमि वास्तव में किसके नाम दर्ज है तथा क्या भूमि का हस्तांतरण विधिसम्मत प्रक्रिया के अनुरूप किया गया था। मामले में भूमि के स्वामित्व,

आशा लकड़ा।

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free : 1800117777; Website: www.ncst.gov.in

कब्जे एवं आवंटन की वैधता के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करने हेतु विस्तृत जांच की आवश्यकता व्यक्त की गई।

5. मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वरा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है:-

जिला प्रशासन एवं संबंधित राजस्व अधिकारी विवादित भूमि की प्रकृति, स्वामित्व, आवंटन एवं कब्जे की स्थिति की विस्तृत जांच कराएं। जांच के दौरान भूमि से संबंधित राजस्व अभिलेखों, आवंटन आदेशों तथा अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों का परीक्षण कर यह सत्यापित किया जाए कि भूमि का आवंटन एवं हस्तांतरण प्रचलित विधिक प्रावधानों के अनुरूप हुआ है अथवा नहीं। जांच पूर्ण होने के उपरांत विस्तृत प्रतिवेदन तथा की गई कार्रवाई की अनुपालन रिपोर्ट आयोग को प्रेषित की जाए।

आशा लकड़ा
12/06/2026

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi